

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबादाई

अ आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तासीन अधिकारी - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 528 / 2022

द पत्र अं. द्वारा 88 / 53 आर.टी.ए.

गुरदर्शन सिंह उर्फ दर्शन सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड  
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

राजवीर कौर पत्नि दर्शन सिंह उर्फ गुरदर्शन सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति)  
मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

वादीगण

बनाम्

गुरदर्शन सिंह पुत्र स्व. धन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं. 3 नजदीक राजकुआं  
सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गुरदर्शन सिंह पुत्र स्व. धन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज0)।

अग्नेज सिंह पुत्र स्व. धन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज0)।

लीला सिंह पुत्र संता सिंह (फौत)

1/ गुरजण्ट सिंह पुत्र स्व. लीला सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

1/2 कर्मजीत कौर पुत्री स्व. लीला सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

1/3 अग्नेज कौर पत्नी स्व. लीला सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

5 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया, जरिये शाखा प्रबन्धक।

6 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 22.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिंह संसा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री.....  
वकील प्रतिवादी संख्या.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार  
मु.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

| नाम काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात  | राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा  | वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार का नाम  | कब्जा काशत अनुसार रकबा                                    |
|---|---|---|---|
| गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 0.506 हि राहिन एसबीआई कोर्ट रोड शाखा संगरिया 2 धन सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.455 हि 3 राजवीर कौर पत्नि | प.म. मोरजण्ड सिखान के चक 10 एमजेडी का खाता संख्या 83/53 खाते का योग 1.265 हेक्ट. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का है) | लीला सिंह पुत्र संता सिंह (फौत) कब्जा वारिसान   | प.न. 142/181 मु. न. 36 का किला नं. 8/0.253 कुल 0.253 है.  |
| गुरदर्शन सिंह 0.506 हि.राहिन एसबीआई कोर्ट रोड शाखा संगरिया 4 लीला सिंह पुत्र संता सिंह 0.253 हि. जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान    |   | गुरदर्शन सिंह उर्फ दर्शन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 0.506 हि. राहिन एसबीआई कोर्ट रोड शाखा संगरिया राजवीर कौर पत्नि गुरदर्शन सिंह उर्फ दर्शन सिंह 0.506 हि. राहिन एसबीआई कोर्ट रोड शाखा संगरिया जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान | प.न. 145/183 मु. न. 51 का किला नं. 11,17,18,19 /1.012 है. |

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया




अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/762 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं है तो कृपया काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में लीलासिंह पुत्र सन्ता सिंह को फौत होना इनके वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार लीलासिंह पुत्र सन्तासिंह के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज 7 मुब्लिक 7 बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आठ तारीख से तारीख वसूलयावी तक 7 को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.4.2025 को खुले न्यायालय में किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया  
जयपुर